संख्या: 45/2016/3131/12-2-2016-बजट.7/2010

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 दिसम्बर 2016

विषय: संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0/2098 जी/लेखा-2/सं0बीज अनु0/2016-17 दिनांक 15 नवम्बर, 2016, पत्र संख्या: भू0सं0 लेखा/बु0क्ष0/पुनर्वि/2016-17/50 डी दिनांक 8 अक्टूबर, 2016 तथा शासनादेश संख्या: 7/2016/929/12-2-2016-बजट.7/2010 दिनांक 27 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 250000 हजार(रूपये पच्चीस करोड मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 55000 हजार (रूपये पांच करोड पचास लाख मात्र) की स्वीकृति नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवयकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. उक्त योजनान्तर्गत अनुदान का वितरण कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 715/12-3-2015-100(48)/2012 दिनांक 15 अप्रैल, 2015 तथा कृषि अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 908/12-2-2016 दिनांक 6 अप्रैल, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या: 45 /2016/3131 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0/प्रबंधिनदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, महानगर, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: /2016/3131/12-2-2016-बजट.7/2010 दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	विषय	विवरण
1	योजना का नाम	संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना
2	वित्त पोषण	राज्य सेक्टर
3	योजना के अन्तर्गत किए गए कार्यो का विवरण संक्षेप में	संकर धान, बाजरा एवं मक्का के बीजों के वितरण पर अनुदान
4	नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/भारत सरकार/आर0के0वी0वाई में एस0एल0 एस0 सी0/मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, परियोजना अवधि, लागत तथा बैठक एवं पत्र जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।	शासनादेश संख्या: 2772(1)/ 12-2-2012-बजट.7/2010 दिनांक 08 अगस्त, 2011 द्वारा आगे के वर्षो में अग्रिम आदेशों तक
5	परिव्यय	250000.00
6	केन्द्र पोषि योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य/अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित	-
7	केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि	-
8	योजना हेतु वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान	250000.00
9	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ तथा व्यय की धनराशि	27-सब्सिडी आवंटन- 125000.0 हजार व्यय- 100000.9 हजार
10	चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण	अवमुक्त धनराशि: 150000 हजार व्यय की धनराशि: 91926 हजार
11	प्रस्तावित अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति का मदवार विवरण	27-सब्सिडी- 55000 हजार

(रूपये पाचं करोड पचास लाख मात्र)

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।